पुनरीक्षण अपराधी

गोपाल सिंह से पहले जे.

-प्रीतम सिंह,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य,-प्रतिवादी।

1969 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 299

10 दिसंबर 1969

दंड प्रक्रिया संहिता (1898 का 5)-धारा 197 और 367-पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम (1952 का 4)-धारा 9 और 102-लोक सेवक के अभियोजन के लिए राज्य सरकार की मंजूरी-क्या केवल उन लोगों के लिए आवश्यक है जो राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से हटाने योग्य हैं-संहिता की धारा 197-चाहे वह बिना किसी कारण के पंच पर लागू हो-निचली अदालत का निर्णय-क्या ख़राब है।

अभिनिर्धारित किया गया कि 'हटाने योग्य नहीं' पद से पहले 'द्वारा छोड़कर' पद से पता चलता है कि लोक सेवक को हटाने के हकदार प्राधिकारी के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 लागू हो सकती है, इसलिए लोक सेवक को हटाने की शक्ति केवल और अनन्य रूप से राज्य सरकार में निहित होनी चाहिए और किसी अन्य प्राधिकरण में नहीं होनी चाहिए। ये दोनों अभिव्यक्तियाँ अस्पष्टता के दायरे से परे हैं, यह विचार कि यह धारा एक लोक सेवक पर लागू होती है, जब वह केवल राज्य सरकार द्वारा हटाने योग्य होता है, अगर वह ऐसी सरकार के मामलों के संबंध में कार्यरत होता है। यह धारा तब लागू नहीं होगी जब ऐसा लोक सेवक राज्य सरकार के अलावा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा हटाने योग्य हो। धारा 197 में कहा गया है कि न्यायालय को किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेना है जब तक कि केवल राज्य सरकार द्वारा अभियोजन के लिए मंजूरी नहीं दी गई हो। दूसरे शब्दों में, एक लोक सेवक के अभियोजन की मंजूरी के लिए पूर्ववर्ती शर्त केवल तभी आवश्यक है जब उसे हटाने की शक्ति राज्य सरकार के एकल प्राधिकरण द्वारा और किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा प्रयोग नहीं की जा सकती है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की धारा 9 के अधीन ग्राम पंचायत को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर, निदेशक द्वारा अनुमोदन के अधीन पंचायत के संकल्प द्वारा एक पंच को हटाया जा सकता है। वह कुछ परिस्थितियों में भी है जैसा कि अधिनियम की धारा 102 की उप-धारा (2) में दिया गया है जिसे पंजाब राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकता है। इस प्रकार, अधिनियम के इन दो प्रावधानों के तहत, वह न केवल राज्य सरकार द्वारा हटाने योग्य है, बल्कि पंचायत निदेशक के अनुमोदन के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा भी हटाने योग्य है। राज्य सरकार का प्राधिकरण धारा 102 के तहत एक पंच को हटाने का हकदार है! यह अधिनियम, पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 9 द्वारा यथा अनुध्यात, पंचायतों के निदेशक द्वारा इसके अनुमोदन के अधीन रहते हुए, उस आशय का प्रस्ताव पारित करके किसी पंच को हटाने के हकदार पंचायत के प्राधिकार से भिन्न है। निदेशक के अनुमोदन के अधीन शक्ति का प्रयोग करने वाले पंचायत के अधिकार के साथ राज्य सरकार के अधिकार की तुलना बाद वाले के साथ नहीं की जा सकती है। दोनों अधिकारी अलग-अलग हैं और एक-दूसरे से अलग हैं। अतः संहिता की धारा 197 में पंच का मामला शामिल नहीं है क्योंकि वह केवल राज्य (सरकार) के प्राधिकरण द्वारा हटाने योग्य नहीं है।

अभिनिर्धारित है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 367 किसी न्यायालय को आदेश देती है और उसके निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले किसी बिंदु या बिंदुओं पर निर्णय के लिए कारण देना अनिवार्य बनाती है। दूसरे शब्दों में, जब किसी न्यायालय को विधि या तथ्य के प्रश्न पर कोई निष्कर्ष देना होता है, तो न्यायालय को उस निष्कर्ष के समर्थन में कारण देने होते हैं। तथ्य के निष्कर्षों को उच्च न्यायालय द्वारा एक संशोधन में सराहा जा सके और उनकी वैधता या औचित्य का न्याय किया जा सके, इसलिए निष्कर्ष निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों की ओर से

रखी गई सामग्री के संदर्भ में तर्क की प्रक्रिया द्वारा आए होंगे। निष्कर्ष में एक सामान्य और अस्पष्ट वाक्य कि न्यायालय लोक अभियोजक की दलीलों से सहमत है, कोई निष्कर्ष नहीं है और न ही न्यायालय द्वारा निर्धारण की आवश्यकता वाले बिंदुओं पर निर्णय है। इस तरह के निर्णय से, उच्च न्यायालय तथ्य के विभिन्न निष्कर्षों के लाभ से वंचित हो जाता है, जिन पर साक्ष्य की अच्छी तर्कपूर्ण चर्चा के बाद पहुंचा जाना चाहिए था। इस प्रकार अपील न्यायालय के निर्णय में कारणों की अनुपस्थिति उसी को दूषित कर देगी

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439/435 के अधीन श्री सालिग राम बख्शी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबाला सिटी, दिनांक 18 मार्च, 1969 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका, जिसमें श्री आर. के. तनेजा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबाला सिटी, दिनांक 11 जुलाई, 1966 की पुष्टि की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया था।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील नरिंदर सिंह।

एच. एन. मेहतानी, सहायक अधिवक्ता जनरल, (हरियाणा) उत्तरदाताओं के लिए।

शिकायतकर्ता की ओर से दिलबाग सिंह और जे. एस. वासु, अधिवक्ता।

निर्णय

जी. ओपल सिंह, जे. यह प्रीतम सिंह द्वारा 18 मार्च, 1969 के अंबाला शहर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री सालिग राम बख्शी के फैसले से पुनरीक्षण याचिका है, जिसमें अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत दोषी ठहराया गया था और उसे एक वर्ष के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। 500 या जुर्माने के भुगतान में चूक होने पर तीन महीने के लिए और भारतीय दंड संहिता की धारा 477 के तहत कठोर कारावास की सजा और उसे छह महीने के लिए कठोर कारावास की सजा और रु। 200/- या जुर्माने के भुगतान में चूक करने पर तीन महीने के कठोर कारावास का प्रावधान किया गया है, जिससे अपील पर श्री आर. के. तनेजा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबाला शहर, दिनांक 11 जुलाई, 1968 के निर्णय से अपीलार्थी की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि होती है। कारावास की मूल सजाओं को लगातार चलाने का निर्देश दिया गया था।

(2) ग्राम पंचायत के सदस्यों और गांव सखेत्री के पंच के पद के लिए चुनाव 1953 में हुए थे। बीर बख्श, तुलसी राम, राम किशन, चुहार सिंह और अछरू राम पंचायत के सदस्य चुने गए। याचिकाकर्ता को इसके पंच के रूप में चुना गया। याचिकाकर्ता जनवरी, 1953 से दिसंबर, 1960 तक पंच के रूप में बने रहे।

(3) फरवरी, 1960 के अंतिम सप्ताह में किसी समय, याचिकाकर्ता को सीमा सुरक्षा बल में पुलिस के सहायक उप-निरीक्षक के रूप में चयन के लिए साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना पड़ा। स्वयं को ऐसा करने में सक्षम बनाने के लिए, उन्होंने 22 फरवरी, 1960 को गांव के धर्मशाला में उस तारीख को बुलाई गई पंचायत द्वारा प्रस्ताव D.W. 3/A को पारित करने के बाद, जो कार्यवाही पुस्तक प्रदर्शनी 'D' में दर्ज किया गया था, उस प्रभाव के लिए कि उनके द्वारा प्रभार सौंपा जाए। कार्यभार चूहर सिंह को सौंप दिया गया। इस प्रस्ताव की वास्तविकता का अभियोजन पक्ष द्वारा इस आधार पर खंडन किया गया है कि उस प्रस्ताव को याचिकाकर्ता द्वारा एक कागज के टुकड़े पर जाली बनाया गया था, जिस पर चूहर सिंह की अंगूठे की छाप उन्हें तब मिली थी जब चूहर सिंह अपनी मृत्युशय्या पर थे। साक्षात्कार समाप्त होने के बाद, याचिकाकर्ता गाँव लौट आया और फिर से पंच के रूप में काम करना शुरू कर दिया।

(4) 29 अगस्त, 1960 को, जीत पाई सिंह झांजी, P.W. 3 जुलाई, 1958 से जुलाई, 1960 की अवधि के लिए पंचायत के खातों का लेखा परीक्षण किया। ऑडिटर का नोट और 'निरीक्षण नोट प्रस्तुत किया गया-* उसे स्थानीय फंड के इंस्पेक्टर को-प्रदर्शनी P.W है। 3/ए। उसे एक लाख रुपये मिले। 6.593.58 याचिकाकर्ता के साथ 'हाथ में शेष के रूप में; उन्होंने नोट किया-रु। 1, 290 को पंचायत के बैंक खाते से निकाल लिया गया था और इसका कोई हिसाब नहीं था। उन्होंने आगे पता लगाया कि रुपये की पट्टे की राशि। संगत सिंह पट्टेदार से प्राप्त पंचायत की भूमि का 670 हिस्सा पंचायत की लेखा पुस्तकों में जमा नहीं किया गया था। पुस्तकों के ऑडिट से पता चला कि रु। 1960 में

गाँव के 'निवासियों' से याचिकाकर्ता द्वारा चूल्हा कर के रूप में प्राप्त 42 को नकद पुस्तिका में प्राप्त के रूप में नहीं दिखाया गया था। इस प्रकार, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता कुल रु। 8, 5 '52.15 पी. इन चार वस्तुओं से बना था और उसके द्वारा अपने स्वयं के उपयोग में परिवर्तित किया गया था। यद्यपि आरोप-पत्र में उल्लिखित और दी गई और नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों में निर्दिष्ट कुल राशि रु। 8, 652.15 पी. लेकिन इन वस्तुओं की कुल राशि रु। 8.595.58 पी। पंचायत के नए चुनाव 4 दिसंबर, 1960 को हुए थे। श्रीमती शमशेर कौर, P.W. 9, सरदार सिंह, P.W: 14, धन्ना सिंह, P.W. 15, राम दास, P.W. 18 और नसीब सिंह, P.W. 20 पंचायत के सदस्यों के रूप में चुने गए जबकि पोहला सिंह, P.W. 21 नए पंच के रूप में चुने गए। याचिकाकर्ता ने पंच के पद का चुनाव भी लड़ा था। वह पोहला सिंह से हार गए। दुखी महसूस करना। पोहला सिंह का पंच के रूप में चुनाव, याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया। 21 जनवरी, 1961 को उनकी रिट याचिका खारिज कर दी गई।

(5) एक पत्र, दिनांक 29 दिसंबर। 1960, प्रदर्शनी D.W. 3/B को ब्लॉक विकास अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को चूहर सिंह मृतक के उत्तराधिकारियों से रिकॉर्ड एकत्र करने के लिए भेजा गया था, जो उनके साथ पाया जा सकता है और उन्हें पोहला सिंह को सौंप दिया जा सकता है। सरपंचा। 7 जनवरी, 1961 को याचिकाकर्ता ने पोहला सिंह पंच को पंचायत के अभिलेखों और परिसंपत्तियों का प्रभार संभालने के लिए सूचित करते हुए पंजीकृत डाक कवर के तहत डी-3 प्रदर्शित करने का नोटिस भेजा। याचिकाकर्ता को 13 फरवरी को सौंप दिया गया। 1961. उनके पास जो कुछ भी दस्तावेज थे, उनका प्रभार पोहला सिंह पंच को दिया गया।

(6) जांच के बाद, 13 जुलाई, 1961 को, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्शनी P.W. 28/बी को पुलिस स्टेशन चंडी मंदार में खंड विकास अधिकारी मुख्तियार सिंह द्वारा दी गई रिपोर्ट पर दर्ज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने रु। 8, 552.15 पंचायत निधि से बाहर और उसने पंचायत के रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की थी और जालसाजी की थी। लगभग तीन साल तक मामले की जाँच जारी रही। दिसंबर, 1963 में, जांच लंबित रहने पर, पंचायत के चुनाव फिर से आयोजित किए गए। याचिकाकर्ता को पंच के रूप में चुना गया और उस पद के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले पोहला सिंह हार गए। 5 जून, 1964 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत अपीलार्थी के अभियोजन को मंजूरी देने का आदेश दिया गया था। जाँच के दौरान, पोहला सिंह और तत्कालीन कार्यशील पंचायत के अन्य पंचों ने यह दिखाने के लिए सबूत दिए कि याचिकाकर्ता ने ग्रामीणों की सभा के समक्ष इकबालिया बयान दिया था कि वह रु। यदि गबन किए जाने का दावा की गई राशि के पूर्ण और अंतिम निपटान की रसीद उसे जारी की गई थी, तो उस राशि के लिए 7,000 रुपये का भुगतान किया गया था।

(7) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित श्री नरिंदर सिंह ने तर्क दिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत दी गई मंजूरी अमान्य है और इसकी अयोग्यता ने मुकदमे को दूषित कर दिया है, कि अपील न्यायालय का निर्णय उन बिंदुओं पर निर्णय का कारण नहीं देता है जो विचार के लिए उत्पन्न हुए थे और कानून में कोई निर्णय नहीं है, पंचायत के रिकॉर्ड का आरोप पोहला सिंह, नए सरपंचा को दिया गया था, कि याचिकाकर्ता द्वारा ग्रामीणों की सभा के समक्ष कोई इकबालिया बयान नहीं दिया गया था, कि जीत पाल सिंह झांजी, ऑडिटर का सबूत याचिकाकर्ता द्वारा विश्वासघात के आयोग को स्थापित नहीं करता है और न ही सबूत से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने खातों का कोई झूठ बोला था और जब तक याचिकाकर्ता ने सरपंचा के कार्यालय का प्रभार याचिकाकर्ता पोहला सिंह को सौंप दिया था, तब तक रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी, याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 477 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता था।

(8) श्री नरिन्दर सिंह द्वारा यह आग्रह किया गया था कि 5 जून, 1964 का अनुमोदन का आदेश प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया साबित नहीं हुआ है, जिसके द्वारा यह पारित किया गया है और परिणामस्वरूप अभियोजन पक्ष याचिकाकर्ता के अभियोजन के लिए मंजूरी को साबित करने में विफल रहा है, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 में निर्धारित किया गया है, याचिकाकर्ता के अभियोजन के लिए संबंधित प्राधिकरण द्वारा कोई मंजूरी नहीं है और इसलिए मुकदमा दूषित है। जवाब में, राज्य की ओर से पेश श्री एच. एन. मेहतानी ने तर्क दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197, अभियोजन पक्ष के लिए याचिकाकर्ता के अभियोजन के लिए मंजूरी प्राप्त करना

अनिवार्य नहीं बनाती है, जबकि याचिकाकर्ता को न केवल राज्य सरकार द्वारा बल्कि ग्राम पंचायत द्वारा भी हटाया जा सकता है, बशर्ते कि पंचायत द्वारा अनुशंसित उसके निष्कासन के प्रस्ताव के बारे में पंचायत निदेशक द्वारा अनुमोदन किया जाए।

(9) यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के आधार पर है कि लोक सेवकों के अभियोजन के लिए मंजूरी की आवश्यकता उत्पन्न होती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 (1) इस प्रकार हैः-"जब कोई व्यक्ति जो भारतीय दंड संहिता की धारा 19 के अर्थ के भीतर न्यायाधीश है या जब कोई मजिस्ट्रेट, या जब कोई लोक सेवक, जिसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी के अलावा अपने पद से हटाने योग्य नहीं है, पर अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए उसके द्वारा किए गए किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो कोई भी न्यायालय पूर्व मंजूरी के अलावा ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेगा; (ए) (बी) राज्य सरकार के मामलों के संबंध में कार्यरत व्यक्ति के मामले में।

(10) इस धारा की भाषा के अनुसार, जैसा कि ऊपर रेखांकित किया गया है (इस रिपोर्ट में तिरछे अक्षरों में) भाग इंगित करता है, एक न्यायालय को एक लोक सेवक द्वारा किए गए कथित अपराध का संज्ञान नहीं लेना है, जो राज्य सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी के अलावा अपने कार्यालय से हटाने योग्य नहीं है, जब तक कि राज्य सरकार की मंजूरी नहीं आती है। इससे पता चलता है कि मंजूरी मुकदमे के लिए एक पूर्व शर्त है और जिस व्यक्ति पर मुकदमा चलाने की मांग की गई है और जिसके संबंध में मंजूरी प्राप्त की जानी है, उसे केवल राज्य सरकार के आदेश से या उसके साथ ही उसके पद से हटाया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि वह राज्य सरकार के अलावा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा हटाने योग्य है, तो यह धारा लागू नहीं होगी। इस धारा में कहा गया है कि लोक सेवक को केवल राज्य सरकार द्वारा और किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा हटाने योग्य नहीं होना चाहिए।

(11) पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 में दो धाराएँ हैं, जो एक पंच को हटाने की शक्ति से संबंधित हैं। हटाने की वह शक्ति अधिनियम की धारा 9 और 102 में प्रदान की गई है। धारा 9 इस प्रकार हैः –

अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने से पहले, पंच और पंच अनुसूची IV में निर्दिष्ट प्रपत्र में शपथ लेंगे।

(2) प्रधान और पंच तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगेः

बशर्ते कि सभाओं की कार्यकारी समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों के पहले आम चुनाव और ऐसी समितियों के सदस्यों के चयन के बाद, धारा 95-क के तहत आयोजित और बनाई गई या मानी गई और बनाई गई समितियों के सदस्यों के चुनाव के बाद, पंच और पंच पांच साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगेः

बशर्ते कि एक निवर्तमान पंच, जब तक कि सरकार अन्यथा निर्देश नहीं देती है, तब तक अपने पद पर बना रहेगा, जब तक कि उसके उत्तराधिकारी ने शपथ नहीं ली हैः

बशर्ते कि निदेशक के अनुमोदन के अधीन, पंच या पंच को निदेशक की पूर्व अनुमति से आयोजित असाधारण आम बैठक में सभा के सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से उनके पद से हटाया जा सकता है।

(12) धारा 9 की उपधारा (2) से संलग्न तीसरे परंतुक के अनुसार, निदेशक की पूर्व अनुमति से आयोजित अपनी असाधारण आम बैठक में पंचायत के सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा एक पंच को उसके पद से हटाया जा सकता है और निदेशक ने उस निष्कासन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

(13) धारा 102 की उपधारा (2) का सुसंगत उपबंध इस प्रकार हैः-"सरकार ऐसी जांच के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, धारा 6 की उपधारा (5) में उल्लिखित आधारों में से किसी आधार पर किसी पंच को हटा सकती है।

(14)धारा 6 की उपधारा (5) में निम्नलिखित आधार निर्धारित किए गए हैंः-(क) विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के योग्य नहीं है; या (ख) नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जब तक कि उसकी दोषसिद्धि के बाद पांच साल की अवधि समाप्त नहीं हो गई है; या (ग) एक आपराधिक न्यायालय द्वारा आदेश के अधीन किया गया है और जो सरकार या उस पद की राय में आदेश है जिसे सरकार ने हटाने की

अपनी शक्तियां सौंप दी हैं, चरित्र का एक दोष इंगित करता है जो उसे पंच या पंच होने के लिए अयोग्य बनाता है। जब तक आदेश की तारीख से पांच साल की अवधि बीत चुकी हो; या (घ) किसी चुनाव अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो; या (ङ) दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 110 के तहत अच्छे व्यवहार के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया हो; या (च) चिकित्सा आधारों को छोड़कर, सार्वजनिक सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो; या (छ) किसी स्थानीय प्राधिकरण या राज्य या भारत संघ का पूर्णकालिक वेतनभोगी 'सेवक है; या (ज) पंजाब आदतन अपराधी (नियंत्रण और सुधार) अधिनियम, 1952 के तहत एक आदतन अपराधी के रूप में पंजीकृत है; या; (i)-एक अघोषित दिवालिया है; या (जे) ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए कर के बकाया का भुगतान नहीं किया है; या (के) ग्राम सभा या पंचायत का एक कर्मचारी है या (ग्राम सभा या ग्राम सभा (ग्राम सभा) का एक किरायेदार है या ग्राम सभा में किराए पर ली गई है या ग्राम सभा या किराए पर ली गई है।

(15) "सरकार" "शब्द, जैसा कि धारा 3, खंड (ज) में परिभाषित किया गया है, का अर्थ है," "पंजाब राज्य की सरकार", "और" "पंच" "शब्द, जैसा कि धारा 3, खंड (i) में परिभाषित किया गया है, में एक पंच शामिल है।" ग्राम पंचायत को दी गई शक्ति के आधार पर, निर्देश द्वारा अनुमोदन के अधीन पंचायत के संकल्प द्वारा एक पंच को हटाया जा सकता है। वह पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की धारा 102 की उप-धारा (2) में दी गई कुछ परिस्थितियों में भी पंजाब राज्य सरकार द्वारा हटाने योग्य है। इस प्रकार, अधिनियम के इन दो प्रावधानों के तहत, वह न केवल राज्य सरकार द्वारा हटाने योग्य है, बल्कि पंचायत निदेशक के अनुमोदन के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा भी हटाने योग्य है। पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 102 के तहत एक पंच को हटाने का हकदार राज्य सरकार का अधिकार उस पंचायत के अधिकार से अलग है जो पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 9 द्वारा विचार किए गए पंचायत निदेशक द्वारा इसके अनुमोदन के अधीन एक प्रस्ताव पारित करके एक पंच को हटाने का हकदार है। निदेशक के अनुमोदन के अधीन शक्ति का प्रयोग करने वाले पंचायत के अधिकार के साथ राज्य सरकार के अधिकार की तुलना बाद वाले के साथ नहीं की जा सकती है। दोनों अधिकारी अलग-अलग हैं और एक-दूसरे से अलग हैं।

(16) "हटाने योग्य नहीं" "अभिव्यक्ति से पहले" "द्वारा छोड़कर" "अभिव्यक्ति से पता चलता है कि किसी लोक सेवक को हटाने के हकदार प्राधिकारी के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 लागू हो सकती है, इसलिए लोक सेवक को हटाने की शक्ति केवल और अनन्य रूप से राज्य सरकार में निहित होनी चाहिए और किसी अन्य प्राधिकरण में नहीं होनी चाहिए।" ये दोनों अभिव्यक्तियाँ अस्पष्टता के दायरे से परे इस दृष्टिकोण को रखती हैं कि यह धारा एक लोक सेवक पर लागू होती है, जब वह केवल राज्य सरकार द्वारा हटाने योग्य होता है, यदि वह ऐसी सरकार के मामलों के संबंध में कार्यरत होता है। यह धारा तब लागू नहीं होगी जब ऐसा लोक सेवक राज्य सरकार के अलावा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा हटाने योग्य हो। धारा 197 में कहा गया है कि न्यायालय को किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेना है जब तक कि केवल राज्य सरकार द्वारा अभियोजन के लिए मंजूरी नहीं दी गई हो। दूसरे शब्दों में, एक लोक सेवक के अभियोजन की मंजूरी के लिए पूर्ववर्ती शर्त केवल तभी आवश्यक है जब उसे हटाने की शक्ति राज्य सरकार के एकल प्राधिकरण द्वारा और किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा प्रयोग करने योग्य न हो।

(17) जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 में पंच का मामला शामिल नहीं है क्योंकि वह केवल राज्य सरकार के प्राधिकरण द्वारा हटाने योग्य नहीं है। यदि यह धारा किसी पंच के अभियोजन के मामले में लागू नहीं होती है, तो दी गई मंजूरी की अयोग्यता और ऐसी अयोग्यता के आधार पर किए जा रहे मुकदमे का सवाल नहीं उठता है और इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान मामले में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत पंच पर मुकदमा चलाने के लिए कोई मंजूरी नहीं मांगी गई है। मंजूरी आवश्यक नहीं होने के कारण, मुकदमा क्रम में और वैध है। मंजूरी के क्रम में किसी भी अनियमितता या दोष के लिए इसकी वैधता पर संदेह नहीं किया जा सकता है।

(18) इसके पश्चात् याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह प्रतिवाद किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 367 के आधार पर अपील न्यायालय का निर्णय विधि में कोई निर्णय नहीं है क्योंकि अपील न्यायालय ने वाद-विवाद के समय मामले में उद्भूत बिन्दुओं के निर्धारण के निर्णय के लिए कोई कारण नहीं दिया है। दंड प्रक्रिया संहिता की

धारा 367 यह अपेक्षा करती है कि विचारण न्यायालय या अपील न्यायालय के निर्णय में निर्धारण के लिए बिंदु या बिंदु, उस पर निर्णय और प्रत्येक बिंदु पर निर्णय के कारणों को निर्धारित या तय किया जाना चाहिए। पैरा 1 से 5 में मामले के तथ्यों का विवरण देने के बाद, न्यायालय ने पैरा नं. 6 कि अपीलार्थी और लोक अभियोजक के वकील की दलीलें विस्तार से सुनी गई थीं। पैरा 7 और 8 याचिकाकर्ता के अभियोजन के लिए मंजूरी की वैधता या अन्यथा के बारे में चर्चा के लिए समर्पित हैं। अदालत ने यह विचार व्यक्त किया कि मंजूरी क्रम में थी। पैरा 9 और 10 अपील न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील की ओर से दिए गए तर्कों के बिंदुओं और राज्य की ओर से लोक अभियोजक द्वारा उनके विवादों से संबंधित हैं। कहीं भी, इन पैरास में और ये केवल दो पैरास हैं, जो निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाली व्यापक रूपरेखा में बिंदुओं का उल्लेख करते हैं, निर्णय से संबंधित कोई चर्चा या तर्क है; आग्रह किए गए बिंदुओं पर। याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए और उस न्यायालय में लोक अभियोजक द्वारा जवाब में विवादित किए गए विभिन्न बिंदुओं को निम्नलिखित शीर्षों के तहत संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता हैः-,, (1) पंचायत के कुछ अभिलेखों का प्रभार याचिकाकर्ता द्वारा चूहर सिंह को दिया गया था और उनके अंगूठे की छाप को आरोप रिपोर्ट में विधिवत जोड़ा गया था और पंचायत के अन्य अभिलेखों का प्रभार याचिकाकर्ता द्वारा नए पंच पोहला सिंह को दिया गया था।

(2) याचिकाकर्ता द्वारा ग्रामीणों की सभा के समक्ष कोई इकबालिया बयान नहीं दिया गया था।

(3) जितपाल सिंह, लेखा परीक्षक का साक्ष्य याचिकाकर्ता द्वारा विश्वासघात या पंचायत के अभिलेखों को रद्द करने, नष्ट करने या विरूपित करने के अपराध को स्थापित नहीं करता है।

(4) जब याचिकाकर्ता द्वारा पोहला सिंह को आरोप सौंपा गया था, तब अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी।

(19) याचिकाकर्ता की ओर से उपरोक्त चार शीर्षों के तहत किसी न किसी रूप में तर्क दिए गए थे। अपील न्यायालय ने इन बिंदुओं पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं की, हालांकि अभिलेख पर बड़ी मात्रा में दस्तावेजी साक्ष्य और अभियोजन पक्ष के 28 गवाहों और मामले में पेश किए गए बचाव पक्ष के चार गवाहों के मौखिक साक्ष्य मौजूद हैं। न्यायालय ने उन बिंदुओं के निर्धारण का कोई कारण नहीं बताया। न्यायालय ने पैरा 10 के अंत में निम्नलिखित रूप में अवलोकन किए गए तर्कों के बिंदुओं को संदर्भित करने के बादः —

"मैं अपने सामने उठाए गए सभी बिंदुओं पर लोक अभियोजक की दलीलों से सहमत हूं

(20) इस प्रकार, न्यायालय अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य की विस्तृत चर्चा में प्रवेश करके कारण निर्दिष्ट करने में विफल रहा है, जिसके संदर्भ में न्यायालय के समक्ष विभिन्न बिंदु उठाए गए थे और किन बिंदुओं को निर्धारित किया जाना था। निर्णय विभिन्न बिंदुओं पर निर्णय के समर्थन में कारण देने में विफल रहा है, निर्णय कानून में कोई निर्णय नहीं है।

(21)दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 367 न्यायालय को आदेश देती है और किसी बिंदु या उसके निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले बिंदुओं पर निर्णय के लिए कारण देना अनिवार्य बनाती है। दूसरे शब्दों में, जब किसी न्यायालय को विधि या तथ्य के प्रश्न पर कोई निष्कर्ष देना होता है, तो न्यायालय को उस निष्कर्ष के समर्थन में कारण देने होते हैं। वर्तमान मामले में, उठाए गए प्रश्न दोनों पक्षों के वकील द्वारा उनकी दलीलों के समर्थन में साक्ष्य की सराहना से संबंधित हैं। न्यायालय ने अभिलेख के किसी भी भाग का मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में उल्लेख नहीं किया है और उस साक्ष्य पर चर्चा नहीं की है। तथ्य के निष्कर्षों को उच्च न्यायालय द्वारा एक संशोधन में सराहा जा सके और उनकी वैधता या औचित्य का न्याय किया जा सके, इसलिए निष्कर्ष निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों की ओर से रखी गई सामग्री के संदर्भ में तर्क की प्रक्रिया द्वारा आए होंगे। फैसले में सबूतों पर तर्कपूर्ण चर्चा का अभाव है। निष्कर्ष में एक सामान्य और अस्पष्ट वाक्य कि न्यायालय लोक अभियोजक की दलीलों से सहमत है, कोई निष्कर्ष नहीं है और न ही उन बिंदुओं पर निर्णय है जिनके लिए न्यायालय द्वारा निर्धारण की आवश्यकता होती है जैसा कि पक्षों द्वारा तर्क दिया गया है। इस तरह के निर्णय से, यह न्यायालय तथ्य के विभिन्न निष्कर्षों के लाभ से वंचित हो गया है, जिन पर साक्ष्य की अच्छी तरह से तर्कपूर्ण

चर्चा के बाद पहुंचा जाना चाहिए था। ताकि इस न्यायालय को नीचे दिए गए न्यायालय के निर्णय का लाभ मिल सके, इसके लिए अभिलेख पर साक्ष्य की युक्तियुक्त चर्चा देने के बाद निर्धारण के लिए उठाए गए बिंदुओं पर निश्चित निष्कर्ष होने चाहिए। चूंकि अपील न्यायालय का निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 367 में निर्धारित सिद्धांतों को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए इसे दरकिनार कर दिया जाता है। विभिन्न बिंदुओं पर दलीलें सुनने के लिए और साक्ष्य पर चर्चा करने और उन निष्कर्षों पर पहुंचने के कारण देने के बाद प्रत्येक बिंदु पर दिए गए निष्कर्षों के लिए मामले को सत्र न्यायाधीश, अंबाला को भेज दिया जाता है।

(21) जैसा कि मैंने अभिनिर्धारित किया है कि याचिकाकर्ता के अभियोजन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अधीन अपेक्षित वर्तमान मामले के लिए कोई मंजूरी नहीं है, अपील न्यायालय स्वयं को अन्य बिंदुओं तक सीमित रखेगा जिनसे उसके समक्ष आग्रह किया जा सकता है। याचिकाकर्ता का वकील प्रार्थना करता है कि याचिकाकर्ता को सत्र न्यायाधीश की संतुष्टि के लिए सुरक्षा प्रदान करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, जब तक कि उसके द्वारा अपील का निपटान न हो जाए। राज्य के वकील को याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं निर्देश देता हूं कि यदि उसे किसी अन्य मामले में हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है तो उसे उसी के अनुसार जमानत पर रिहा किया जाए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकांक्षा सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

सोनीपत(हरियाणा)